



22

न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर केम्प उज्जैन मध्य प्रदेश ::  
 प्र.क. PBR/निगरानी/शाजापुर/श्र.ख/2017/4419 /2016-17 निगरानी

प्रेमनारायण पिता दरियाव सिंह कुल्मी निवासी ग्राम  
 गुलाना तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.  
 -----निगरानीकर्ता

प्रार्थी अभिभाषक श्री विजय निवासी  
 द्वारा प्रस्तुत  
 दिनांक 06/11/17  
 अधीक्षक  
 आयुक्त कार्यालय  
 उज्जैन

बनाम

मजीद खॉ पिता आबूखॉ निवासी ग्राम गुलाना  
 तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.  
 -----प्रत्यर्थी

केम्प उज्जैन  
 25-10

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959  
 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय गुलाना के प्रकरण क.  
 3अ70/15-16 आदेश दिनांक 7.9.17 से असन्तुष्ट होकर निगरानी  
 समयावधि में पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/4419

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

5-12-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-9-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में सीमांकन के अन्य गवाहों के साक्ष्य हो जाने के कारण राजस्व निरीक्षक का साक्ष्य आवश्यक न होने से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
(मनोज गोयल)  
अध्यक्ष